

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

कार्यालय, श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

दिनांक 23 AUG 2013

रायपुर दिनांक : 16-08-2013

क्रमांक F 10- 10 /2013/16 :- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है :-

क्रं.	कर्मकार का नाम
52	कोटवार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नाम से तथा
आदेशानुसार

(जी.आर.मालवीय)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र. F 10- 10 /2013/16

रायपुर दिनांक 16-08-2013

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ.ग.)
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
4. सचिव, सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
7. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
8. कलेक्टर, जिला.....(छ.ग.)
9. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)